राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः 13(09) खा.वि./आवंटन/2024ऋ 02560 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांकः .01. 2025

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानुसार गेहूं का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में राजस्थान राज्य निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में 1. परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, 2. परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/ अधिकारी हो, 3. एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एवं 4. परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।

उक्त मापदण्ड में आने वाले लाभार्थियों से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु नाम हटाने हेतु दिनांक 31.01.2025 तक GIVE-UP अभियान चलाया जाना था। इसकी अवधि दिनांक 28.02.2025 तक बढ़ायी जाती है।

अतः उक्तानुसार GIVE-UP अभियान संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी/व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक लोगों को प्रेरित कर अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट भिजवायें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ब्रहम लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त, जिला कलक्टर (रसद), राजस्थान।
4. निदेशक, एनआईसी, (खाद्य) को प्रति भेज कर लेख है कि एनएफएसए सूची में से स्वेच्छा से GIVE-UP करने वाले लाभार्थियों हेतु पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिंक का प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।
5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ई—मेल कराने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.01.30 22:28:10 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\13321672_1098734628091703751.docx